रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72

REGISTERED No. D. (D.N.)—72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

## असाधारण
## EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 26, 1982/माघ 6, 1903
No. 19] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 26, 1982/MAGHA 6, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

### वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

### अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1982

सं० 21021/12/81-प्रशा० III(ब)—राष्ट्रपतिजी, गणतंत्र दिवस, 1982 के अवसर पर, सीमाशुल्क (निवारक) समाहर्तालय, पटना के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी असाधारण प्रशंसनीय सेवा के लिये, जो उन्होंने अपने जीवन को भी जोखिम में डालकर की, प्रशस्ति-पत्र प्रदान करते हैं:—

अधिकारियों के नाम और पद :

1. स्वर्गीय श्री बी०के० तिवारी, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निरीक्षक, सीमाशुल्क (निवारक) समाहर्तालय, पटना।
2. श्री ए०के० दत्त, निरीक्षक, सीमाशुल्क (निवारक) समाहर्तालय, पटना।
3. श्री विजय कुमार सिंह, सिपाही एवं ड्राइवर, सीमाशुल्क (निवारक) समाहर्तालय, पटना।

जिन सेवाओं के लिये प्रमाण-पत्र दिये गये हैं, उनका विवरण :

गोपालगंज में तैनात सीमाशुल्क निरीक्षक, श्री बी०के० तिवारी और श्री ए०के० दत्त ने 22-12-1981 को गोपालगंज-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निवारक जांच के लिए सीमाशुल्क दल का नेतृत्व किया, जिसमें 5 सिपाही और एक विभागीय जीप-ड्राइवर सम्मिलित थे। यह राष्ट्रीय राजमार्ग हाल ही में इस बात के लिए बदनाम हो गया है कि तस्कर इसका इस्तेमाल अन्य देश का माल तथा नेपाल का गांजा ले जाने के लिये करते हैं। उस सड़क पर भारी जोखिम होने के बावजूद श्री बी०के० तिवारी ने उस दिन अपने दल की अगवाई की और गश्त के दौरान निवारक जांच करते हुए अनेक धावे मारे। लगभग 12.00 बजे श्री बी० के० तिवारी और श्री ए० के० दत्त और उनके दल ने गोपालगंज से गोरखपुर की तरफ जाती हुई लाखे रंग की यू०टी०ए०-8815 नम्बर की कार को रोका। ऐसा सन्देह होने पर कि गाड़ी में निषिद्ध माल है, श्री तिवारी ने कार को रोकने का संकेत दिया। वह और उनके कुछ सिपाही कार के पास गये और उसकी तलाशी लेनी चाही। निषिद्ध माल ले जाने वाले तस्कर कार को फुर्ती से ले भागे। सीमाशुल्क दल ने उस समय भीम सिंह को पहचान लिया जिसकी जघन्य गतिविधियां इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई थीं। वह हिंसक गतिविधियों के लिए बदनाम है और वह पुलिस को भी कुछ नहीं समझता। शक है कि उसने अनेक जघन्य अपराध किए हैं। यह जानते हुए भी कि तस्करों की अगुवाई एक कुख्यात व्यक्ति कर रहा है, श्री तिवारी ने अपने ड्राइवर को तत्काल एम्बेसडर कार का पीछा करने का आदेश दिया। कार का 11 किलोमीटर तक तेजी से पीछा किया गया और इस दौरान कार ने कई बार सड़क छोड़कर भाग निकलने का प्रयास भी किया। इससे श्री तिवारी हतोत्साहित नहीं हुए बल्कि, ड्राइवर को कार का तेजी से पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। श्री तिवारी स्वयं जीप में बायीं तरफ बैठ गये, जहां तस्कर उन्हें पूरी तरह देख सकते थे और इस प्रकार तस्करों द्वारा उन पर गोली चलाने का पूरा खतरा था। यदि तेजी से पीछा

करते हुए जीप उलट गयी होती तो सबसे पहले श्री तिवारी को चोट आती। ड्राइवर और श्री बी० के० तिवारी के बीच निरीक्षक श्री ए० के० दत्त बैठे हुए थे। कार का 11 किलोमीटर तक तेजी से पीछा करने के बाद श्री वी०के० सिंह, जीप-ड्राइवर ने एम्बेसडर कार का पीछा किया और इस प्रकार सीमाशुल्क विभाग की जीप अन्ततः एम्बेसडर कार के नजदीक आ ही गयी। एक बार फिर श्री तिवारी ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए ड्राइवर श्री वी०के० सिंह को आदेश दिया कि वह जीप को आगे निकाल कर कार को रुकवा दे। जब जीप कार से आगे निकल रही थी तो तस्करों ने गोली चला दी और जीप में आगे बायीं ओर बैठे श्री तिवारी पर बम फेंके। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर स्टेनगन से भी गोलियां चलाईं और एक गोली श्री विजय कुमार सिंह, ड्राइवर को उछल कर जा लगी। बम के फटने से श्री तिवारी की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई और उनके बिलकुल पास बैठे श्री ए०के० दत्त, निरीक्षक, गम्भीर रूप से घायल हो गये। तस्कर इस स्थिति का लाभ उठाकर भाग गए। सिपाहियों ने जीप से बाहर छलांग लगाकर अपनी राइफलों से गोली चलाई किन्तु इस कार्यवाही में थोड़ा समय लग गया क्योंकि बम के फटने की वजह से धुएं और मिट्टी के कारण दिखाई कम दे रहा था। इसके दौरान तस्करों की मोटरगाड़ी बहुत आगे निकल गई और गंभीर रूप से घायल हुए अपने अधिकारियों को वहीं छोड़कर सिपाही भी उनका पीछा नहीं कर सकते थे। बम के विस्फोट तथा गोली चलने की वजह से विभाग की जीप भी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी।

जीप में बैठे सिपाहियों ने गोपालगंज की ओर जा रही एक गाड़ी को रोका और श्री तिवारी और दूसरे घायलों को सदर अस्पताल, गोपालगंज ले गए। डाक्टर ने श्री तिवारी को मृत घोषित कर दिया। डाक्टरों ने घायल हुए श्री दत्त और श्री सिंह (ड्राइवर) की तत्काल चिकित्सा की। घटना-स्थल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुचईकोट पुलिस थाने में "प्रथम सूचना रिपोर्ट" दर्ज कराई गई। सीमाशुल्क विभाग की अभागी जीप बी०आर०ई०-7350 को क्षतिग्रस्त हालत में कुचईकोट पुलिस थाने तक घसीट कर ले जाया गया। 23.12.1981 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के पठरेवा पुलिस थाने के कर्मचारियों ने उक्त अम्बेसडर कार को फाजिलनगर (उत्तर प्रदेश) में पकड़ा, जिसे यू०टी०ए०.5214 नम्बर की जीप द्वारा खींचकर ले जाया जा रहा था। चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जो सुरेन्द्र सिंह (गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के रिजर्व पुलिस दल का कांस्टेबल), मिर्जा करीम बेग (गोरखपुर, उत्तर प्रदेश), शिव वचन सिंह (गोरखपुर, उत्तर प्रदेश), और शिवनाथ त्रिपाठी (सिवन, बिहार) हैं और अम्बेसडर कार से दो पिस्टल, 5 कारतूस और 25 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। मोटरगाड़ी के संदिग्ध पंजीकृत मालिकों के, अर्थात गजेंद्र सिंह और वीरेन्द्र सिंह के जो, भाई-भाई हैं और बोलिया रेलवे कालोनी के निवासी हैं, परिसरों की तलाशी ली गई जिसमें अन्य हथियारों के साथ-साथ एक स्टेनगन, दो बम और 150 कारतूस भी बरामद हुए। गजेंद्र सिंह के रिकार्ड से पता चलता है कि वह एक पुराना अपराधी है और वह गम्भीर अपराधों के लगभग 18 मामलों में ग्रस्त है, जिनमें हत्या के 4, हत्या करने की कोशिश का 1, डाके डालने के 5, दंगा आदि करने के 3 बड़े मामले हैं। उसके परिसरों से तीन बार अग्न्यास्त्र भी बरामद हुए। मिर्जा करीम बेग भी हत्या के एक पुराने मामले में अन्तर्ग्रस्त है।

उक्त घटना के ब्यौरे से यह स्पष्ट है कि निरीक्षक श्री तिवारी, निरीक्षक श्री ए०के० दत्त, और जीप-ड्राइवर श्री वी०के० सिंह ने अत्युत्तम अनुकरणीय साहस, नेतृत्व और कर्तव्य-निष्ठा दिखाई।

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Revenue)

### NOTIFICATIONS

New Delhi, the 26th January, 1982

**No. 21021/12/81-Ad. III-B.**—The President is pleased, on the occasion of Republic Day, 1982, to award an Appreciation Certificate to each of the undermentioned officers of the Collectorate of Customs (Preventive), Patna for exceptionally meritorious service rendered by them when undertaking a task even at the risk of their lives :—

Names of the officers and rank

1. Late Shri B. K. Tiwary, Inspector of Customs and Central Excise, Collectorate of Customs (Preventive), Patna.
2. Shri A. K. Dutta, Inspector, Collectorate of Customs (Preventive) Patna.
3. Shri Vijay Kumar Singh, Sepoy-cum-driver, Collectorate of Customs (Preventive), Patna.

Statement of services for which the certificates have been awarded :

On 22-12-1981, Shri B. K. Tiwary and Shri A. K. Dutta, Inspectors of Customs posted at Gopalganj led a Customs Party consisting of 5 Sepoys and the departmental jeep driver for preventive checks on the Gopalganj-Gorakhpur National Highway, which has recently attained notoriety for being used by smugglers for transporting of third country goods and ganja emanating from Nepal. In spite of heavy risk on that road, Shri B. K. Tiwary led his party on that day and while carrying out preventive checks made a number of patrol sorties. At approximately 1200 hours, Shri B. K. Tiwary, Shri A. K. Dutta and the party stopped a maroon coloured Ambassador car bearing registration number UTA-8815 coming from Gopalganj and proceeding towards Gorakhpur. Suspecting that the vehicle was carrying contraband goods, Shri Tiwary signalled the car to stop. He and some other Sepoys in the party walked upto the vehicle and wanted to search it. The smugglers who were carrying contraband goods quickly fled away in the car. The Customs party at that time recognised one Bhim Singh, whose nefarious activities have become a household word in the area. He has been known to indulge in violence and even the police force does not matter for him. He is suspected of several heinous crimes. Although fully aware that the smugglers were led by a notorious man, Shri Tiwary immediately ordered his driver to chase the Ambassador car. There was a hot pursuit for 11 Kms. during which the car made several attempts to desert the road. This did not deter Shri Tiwary, who kept on motivating and encouraging the driver to give a hot chase. Shri Tiwary had positioned himself on the left side of the jeep, thereby totally exposing his person to risk of firing from the smugglers. Even if the jeep had overturned during this hot chase, he would have been the first victim. Shri A. K. Dutta, the other Inspector was sitting in the middle between the driver and Shri B. K. Tiwary. Shri V. K. Singh, the jeep driver gave chase to the Ambassador car. After a hot chase of 11 Kms. the Customs jeep finally came near the Ambassador car and again Shri Tiwary showed no concern for his life and ordered Shri V. K. Singh, driver to overtake and stop the car. While the jeep was overtaking the car the smugglers opened fire and threw bombs on Shri Tiwary, who was sitting on the left front side of the jeep. They also fired at the officers and staff with a stengun and one of the rounds hit Shri Vijay Kumar Singh, the driver on the rebound. The explosion of the bombs killed Shri Tiwary on the spot and seriously injured Shri A. K. Dutta, Inspector, who was sitting next to him. The smugglers took advantage of this and fled away. The Sepoys jumped down from the jeep and fired from their rifles but this process took some time as the visibility around had become poor because of the smoke and dust of the bomb blast. This time-lag enabled the smuggler's car to take substantial lead and the Sepoys also could not chase them leaving their seriously injured officers behind. The departmental jeep has also been damaged due to the blast and the firing.

The sepoys in the jeep stopped a vehicle going towards Gopalganj and took Shri Tiwary and others injured to the Sadar Hospital, Gopalganj. Shri Tiwary was declared dead by the doctor. The injured Shri Dutta and Shri Singh (Driver) were promptly attended by the doctors. F.I.R. was lodged at Kuchaikot Police Station about 2 KMs. from the point of the incident. The ill-fated Customs jeep BRE-7350 was towed to Kuchaikot Police Station in damaged condition. On 23-12-81, Pathrewa Police Station in Deoria District of U.P. seized the said ambassador car towed by a jeep bearing registration number UTA-5214 in Fazilnagar (UP). Four persons, namely, Surender Singh, RPF Constable of Gorakhpur (UP) and Mirza Karim Beg of Gorakhpur (UP), Sheo

Bachan Singh of Gorakhpur (UP) and Sheonath Tripathi of Siwan (Bihar) were arrested and two pistols, 5 catridges and 25 Kgs. of Ganja were recovered from the ambassador car. The Premises of the suspected registered owners of the car namely, Gajendra Singh and Virendra Singh, brothers and residents of Baulia Railway Colony, Gorakhpur were searched as a result of which a stengun, two bombs and 150 catridges apart from other arms were also recovered. Gajendra Singh has a previous criminal record and is involved in nearly 18 grave criminal cases, 4 for murder, 1 for attempted murder, 5 for dacoities, 3 for major cases of rioting etc. On three occasions, firearms were also recovered from his premises. Mirza Karim Beg is also involved in a previous case of murder.

It is clear from the details of the incident that S|Shri Tiwary, A. K. Dutta, Inspectors and V. K. Singh, jeep driver displayed exemplary courage, initiative and devotion to duty of the highest order.

सं० ए-21021/12/81-प्रशा० III-ख.—राष्ट्रपति जी, गणतंत्र दिवस, 1982 के अवसर पर सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभागों के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रत्येक को उसकी उल्लेखनीय विशिष्ट सेवा के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हैं :—

1. श्री जे०ई०ए० सल्दाना, अधीक्षक, राजस्व आसूचना निदेशालय।
2. श्री के०वी० कामथ, अधीक्षक, राजस्व आसूचना निदेशालय।
3. श्री एस०जी० साहणे, अधीक्षक, राजस्व आसूचना निदेशालय।
4. श्री एम०के० सिल, अधीक्षक, सीमाशुल्क गृह, कलकत्ता।
5. श्री एन० श्रीधरन्, अधीक्षक, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, कोचीन।
6. श्री अमरजीत सिंह आहलूवालिया, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, दिल्ली।
7. श्री एस०यू० सैयद, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षक (सामान्य ग्रेड), केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, अहमदाबाद।

2. ये पुरस्कार, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार देने संबंधी, समय-समय पर यथासंशोधित उस योजना के पैरा 1 के खंड (क)(ii) के अन्तर्गत दिए जाते हैं, जो भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I खंड 1 में अधिसूचना सं० 12/139/59 प्रशा०III-ख, दिनांक 5 नवम्बर, 1962 के अन्तर्गत प्रकाशित की गई थी।

रमेश चन्द्र मिश्र, अपर सचिव

**No. A-21021/12/81-Ad. III-B.** The President is pleased, on the occasion of the Republic Day, 1982, to award an Appreciation Certificate for Specially Distinguished Record of Service to each of the under-mentioned Officers of the Customs and Central Excise Department :—

1. Shri J. E. A. Saldana, Superintendent, Directorate of Revenue Intelligence.
2. Shri K. V. Kamath, Superintendent, Directorate of Revenue Intelligence.
3. Shri S. G. Sahane, Superintendent, Directorate of Revenue Intelligence.
4. Shri M. K. Sil, Superintendent, Customs House, Calcutta.
5. Shri N. Sreedharan, Superintendent, Collectorate of Customs and Central Excise, Cochin.
6. Shri Amarjit Singh Ahluwalia, Superintendent, Central Excise Collectorate, Delhi.
7. Shri S. U. Saiyed, Inspector of Central Excise (Ordinary Grade), Collectorate of Central Excise, Ahmedabad.

2. These awards are made under clause (a)(ii) of para 1 of the Scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs and Central Excise Department, published in part I, Section 1 of the Gazette of India Extraordinary Notification No. 12/139/59-Ad. III-B, dated the 5th November, 1962, as amended from time to time.

R. C. MISRA, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982